बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

ह० सं०—17/विविध— 01—229/2026— पटना, दिनांक :— / / 2026

डॉ० सुलक्षणा कुमारी, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर—BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, गया जी को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनाक—01.12.2015 के आलोक मे दिनाक—15.08.2026 से 10.02.2027 तक कुल—180 (एक सौ अस्सी) दिनो के प्रथम संतान हेतु दिनाक—15.08.2026 के प्रभाव से मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :—17/विविध— 01—229/2026—1248(17) पटना, दिनांक :— 24/09/2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डॉ० सुलक्षणा कुमारी, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर—BHS), स्त्री रोग एव प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मेनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—
संयुक्त सचिव।